**संख्या-76/2025/1104/2025-001-27-10002(002)/7/2022-10**

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसंधान एवं सर्वेक्षण मद हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1977/नलकूप/बजट2025-26/अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, दिनांक 26.06.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-101-04-0415-24 'अनुसंधान एवं सर्वेक्षण' मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 450.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 225.00 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी व अन्य स्थायी आदेशों, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त-पुस्तिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) अनुसंधान एवं सर्वेक्षण मद हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि को व्यय करने हेतु प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक मुख्य अभियन्ता समिति का गठन करते हुए गत वित्तीय वर्ष में उक्त मद में स्वीकृत धनराशि का विवरण बी0एम0-8 प्रपत्र पर प्राप्त करने के उपरान्त धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) स्वीकृति धनराशि केवल स्वीकृत कार्य पर ही व्यय की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग/संबंधित अधिकारियों का होगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदर्शन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्यव प्राप्त कर ली जाए।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

(7) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराये जायेंगे।

(8) धनराशि के सदुपयोग एवं उपरोक्त शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की होगी।

(9) 01 प्रतिशत लेबरसेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,25,00,000 ( रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001010415 अनुसंधान एवं सर्वेक्षण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

**संख्या- 76 /2025/1104(1)/2025-001-27-10002(002)/7/2022-10, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
(6) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (नलकूप), द्वारा-प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(10) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।